information furnished by the University Grants Commission, grants amounting to Rs. 259.04 lakhs were paid by the Commission to the Central Universities from 1st April, 1982 to 31st January, 1986 for construction of houses for teaching and non-teaching staff.

Flouting of the instructions of the Censoring Committee

2447. SHRIMATI MANORAMA PANDEY:

SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a recent interview given by the Chief of the Central Board of Film Censor published in Sunday Observer implying that cuts proposed by the competent Committee in the film 'Ram Teri Ganga Maili' were not actually made by the officials entrusted with the job;

(b) whether Government have made any investigation into the matter;

(c) if so, the details thereof and action taken against the erring officials; and

(d) what steps Government propose to take to carry out the original cuts proposed by the competent Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) On investigation it was found that the Regional Officer of the CBFC, Bombay, did not take adequate care to verify the cuts properly before issuing the certificate. Action has been initiated against him.

(d) After inquiring into the matter the Central Government has, under its revisional powers, changed the category of the certificate from 'U' to 'UA' without insisting on the cuts.

दिल्ली में गैर-सरकारी अस्पतालों द्वारा डाक्टरों तथा रोगियों का शोषण

2448. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री जे० पी० गोयल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गैर-सरकारी अस्पताल कितने हैं तथा उनमें से प्रत्येक अस्पताल में कितने डाक्टर कार्यरत हैं, प्रत्येक में कितने बिस्तर उपलब्ध हैं तथा इन विभिन्न अस्पतालों में रोगियों से प्रति बिस्तर कितनी राशि वसूल की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अस्पतालों में नए जूनियर डाक्टर से लगातार 24 घंटे काम लिया जाता है तथा उन्हें रहने-ठहरने संबंधी कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती और जैसा कि गंगाराम अस्पताल में किया जा रहा है, 36 महीनों की अवधि के पश्चात् उन्हें सेवा से निकाल दिया जाता है ताकि वे स्थायी कर्मचारी न बन पायें ;

(ग) क्या यह सच है कि ये अस्पताल जूनियर डाक्टरों का न केवल शोषण ही कर रहे हैं वरन् रोगियों से भी एक कमरे का 30 रुपए से 1000 रुपए तक किराया ले रहे हैं चूंकि इन अस्पतालों पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करने का विचार रखती है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन के अधीन दिल्ली उपचर्या गृह पंजीकरण अधिनियम/नियमावली, 1953 के अन्तर्गत 110 गैर-सरकारी उपचर्या गृह और गैर-सरकारी अस्पताल पंजीकृत हैं। दिल्ली प्रमुख गैर-सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध पलंगों और डाक्टरों की संख्या तथा उनके द्वारा वसूल की जा रही रकम के बारे में एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) से (घ) इन गैर-सरकारी अस्पतालों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए इस समय दिल्ली उपचर्या गृह पंजीकरण अधिनियम/नियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है। इस मामले की समीक्षा की जा रही है।

विवरण

दिल्ली के प्रमुख प्राइवेट अस्पतालों की सूची

क्र०सं०	अस्पताल का नाम	पलंगों की संख्या	डाक्टरों की संख्या	खर्च
1.	सर गंगा राम अस्पताल	380	96	75 से 600 रुपये
2.	मूल चंद अस्पताल	307	46	स्वदेशी रोगियों के मामले में कोई खर्च नहीं लिया जाता। अन्य मामलों में 75 से 400 रु०
3.	सैंट स्टीफेंस अस्पताल	511	84	25 प्रतिशत निःशुल्क उपचार, 75 प्रतिशत निम्न आय समूह के रोगियों से कम दरों पर खर्च लिया जाता है।
4.	होली फेमिली अस्पताल	274	51	15 से 230 रु०
5.	तीर्थ राम शाह अस्पताल	173	37	100 से 400 रु०
6.	डा० बी० एल० कपूर मेमोरियल अस्पताल	150	उपलब्ध नहीं	125 रु० प्रति दिन
7.	डा० शरीफ नेत्र अस्पताल	89	19	10 से 65 रु०
8.	आर० बी० मेठ जस्सा राम अस्पताल	50	7	30 से 85 रु०
9.	संत परमानद ब्लाइंड रिलीफ मिशन	86	8	शून्य
10.	सुन्दरलाल जैन चैरीटेबल अस्पताल, अशोक विहार	50	59 (परामर्श खर्च सहित)	60 से 300 रु०
11.	मजीदिया अस्पताल	125	19	75 से 500 रु०
12.	माडल नेत्र अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली	40	3	100 से 600 रु० (7 दिन के लिए)